



पूर्वोत्तर रेलवे

मरेप्र (का.) कार्यालय
वाराणसी मंडल.

दिनांक. 17.01.2025

सं0 का/राज/227/सी.एम.पी./भाग-1/वाराणसी

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर

विज्ञापन सूचना

विषय:- संविदा(ठेके) के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए वाक् इन इंटरव्यू ।

संदर्भ:- इस रेलवे का समसंख्यक नोटिफिकेशन दि. 17.01.2025

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में संविदा(ठेके) के आधार पर पूर्णकालिक मेडिकल प्रैक्टिशनर(जनरल ड्यूटी) के इंगेजमेंट हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना निकाली जानी है । समाचार पत्रों में छपवाने का खर्च मुचिधि कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा वहन की जायेगी । यह लेखा शीर्ष 11-215-18 के अंतर्गत चार्ज होगा । उपरोक्त विज्ञापन सूचना दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित होने आवश्यक है ।

इस पत्र के साथ अधिसूचना दिनांक 17.01.2025 की एक हिंदी प्रति आपको विज्ञापन सूचना दैनिक समाचार में प्रकाशित कराने हेतु भेजी जा रही है । अधिसूचना समाचार पत्रों में छपने के पश्चात भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों में तथा कब-कब छपा है उसकी फोटो प्रति मरेप्र(का.)वाराणसी कार्यालय में भेजने का कष्ट करे ।

संदर्भित पत्र द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे पर संविदा(ठेके) के आधार पर पूर्णकालिक मेडिकल प्रैक्टिशनर (जनरल ड्यूटी) के इंगेजमेंट हेतु बलिया, वाराणसी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना निकालने हेतु भेजा ^{जा रहा} है ।

उक्त सभी सूचनाएं रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

यह पत्र मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संलग्नक :- अधिसूचना दिनांक 17.01.2025 (हिंदी एक प्रतियों में संलग्न है)

सहायक कामिक अधिकारी

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का.)

वाराणसी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

• जनसम्पर्क अधिकारी/द्वारा.

• मुचिधि, पूर्वोत्तर रेलवे / वाराणसी

• मु.कायोधि/एम.पी./अनुभाग

कृते मंडल रेल प्रबंधक /वारा





पूर्वोत्तर रेलवे

मरेप्र (का.) कार्यालय

वाराणसी मंडल.

सं० का/227/राज/सी.एम.पी./भाग-1/वाराणसी

दिनांक :- 17.01.2025

विज्ञापन सूचना

विषय:- संविदा के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए वाक् इन इंटरव्यू।

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल में 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए (यह अवधि रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है) संविदा के आधार पर 01 पूर्णकालिक मेडिकल प्रैक्टिशनर(सामान्य इयूटी) को इंगेज किया जाना है, रिक्तियों तथा अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्रम सं	पद	योग्यता	रिक्ति का स्थान	चयन हेतु विशेषज्ञता	Total
01	CMP (जनरल इयूटी मेडिकल ऑफिसर)	M.B.B.S+01 Year rotatory internship	स्वास्थ्य इकाई/बलिया	जी० डी० एम० ओ०	01 (OBC-01)

वाक् इन इंटरव्यू स्थान - मंडल रेल प्रबंधक(का.) कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में।

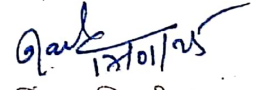
- दिनांक तथा समय:- 31.01.2025 (शुक्रवार) समय 09.00 बजे पूर्वाह्न।
- सीएमपी को वाराणसी मंडल के क्षेत्राधिकार में कही पर भी पदस्थ किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
- मासिक पारिश्रमिक - रेलवे बोर्ड के पत्र सं -2020/E(GR)||/1/3 नई दिल्ली दिनांक 17.09.2024 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक पारितोषिक दिया जायेगा।
- (ग) सी०एम०पी० (जी०डी०एम०ओ०) हेतु - रु० 95000/- (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता सहित) प्रतिमाह की दर से मानदेय देय होगा।
- (घ) पुर्न नियोजित सेवानिवृत्त चिकित्सको को रेमूनरेशन (मासिक पारिश्रमिक) रु० 46000/- प्रतिमाह होगा लेकिन (रेमूनरेशन+पेंशन का योग किसी भी स्थिति में भू०पू० चिकित्सक द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम माह के वेतन से अधिक नहीं होगा।
- शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता- भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार की प्रत्येक पद के सामने अंकित योग्यता पूर्ण होनी चाहिए तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् या किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के साथ वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वाक् इन इंटरव्यू हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।
- आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2025 की तिथि तक अधिकतम आयु 53 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अजा/अजजा संवर्ग के अभ्यर्थी को 05 वर्ष तथा अपिजा संवर्ग को 03 वर्ष की छूट देय होगी। सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सको हेतु आयु सीमा 67 वर्ष तक होगी।
- आरक्षण :- ओपन मार्केट के आवेदित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता, नियम व शर्तों का विस्तृत विवरण पूर्वोक्त रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

-2-

अन्य निर्देश -

- (ग) चयन के समय आई.सी.यू./ क्रिटिकल केयर यूनिट में कार्य का अनुभव रखने वाले एवं चेस्ट विशेषज्ञ चिकित्सको को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (घ) अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत चिकित्सक को अपने विभाग से जारी अनापति प्रमाण पत्र वाक्-इन-इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर निर्धारित आवेदन पत्र भर कर, सभी वांछित प्रपत्रों की स्व-हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ सुबह 09.00 बजे से 1200. बजे तक उपस्थित होने पर ही साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं अन्यथा साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ड) इस साक्षात्कार के लिए को भी टी०ए०/डी०ए० देय नहीं होगा।
- (ढ) निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ण) चिकित्सको को संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए इंगेज किया जायेगा। यह इंगेजमेंट 14 दिन का एकपक्षीय नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (त) रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता स्वतः विस्तार के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।
- (थ) नियुक्त किये गये सीएमपी IRMM 2000 के पैरा 622(8) में 'विशेष' के रूप में वर्गीकृत किये गये आपरेशन्स को छोड़कर स्वयं के लिए निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान सम्बंधित जोनल रेलवे अस्पताल में सामान्य रूप से उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्वयं के उपचार की सुविधा ले सकता है।
- (द) वाक्-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को कोविड-19 के दिए गए निर्देश के अंतर्गत अभ्यर्थी को स्वयं का प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। कोविड-19 का अन्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सैनीटाइज़र इत्यादि का पालन करना होगा।


सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का.)
वाराणसी